भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3607

सोमवार, 11 अगस्त, 2025/ 20 श्रावण, 1947, (शक)

प्रवासी कामगार

3607. श्री शफी परम्बिल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास उन राज्यों का आंकड़ा है जहां से कामगार दूसरे राज्यों में प्रवास करते हैं;

(ग) यदि हां, तो उन पहले तीन राज्यों के नाम क्या हैं जहां से सबसे अधिक संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों में प्रवास करते हैं; और

(घ) अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए सरकार द्वारा सुगम बनाए गए कल्याणकारी उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को असंगठित कामगारों के एक राष्ट्रीय डेटाबेस, ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा हुआ एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और ऐसे कामगारों को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान करने को सुविधाजनक बनाना है। यह असंगठित कामगार को स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। दिनांक 05. 08. 2025 तक की स्थिति के अनुसार, प्रवासी कामगारों सहित 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की राज्य-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की सबसे बड़ी संख्या वाले पहले तीन राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं।

प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने हेतु ई-श्रम को "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के रूप में विकसित करने के संबंध में बजट घोषणा, वर्ष 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप- सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों को ई-श्रम के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

जारी..2/-

अब तक, ई-श्रम कार्डधारकों को लाभ पहुंचाने और सामाजिक सुरक्षा, बीमा अथवा कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है जिसमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) शामिल हैं।

प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा हेतु, संसद ने अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 को अधिनियमित किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों को रोजगार देने वाले कतिपय प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, ठेकेदारों को लाइसेंस देने आदि का उपबंध करता है। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता का भुगतान करना तथा आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षात्मक कपड़े आदि प्रदान किया जाना अपेक्षित होता है।

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के अंतर्गत प्रवर्तन प्राधिकरण केन्द्रीय क्षेत्र में पंजीकृत प्रतिष्ठानों और लाइसेंसधारी ठेकेदारों का नियमित निरीक्षण करते हैं। राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र में इस अधिनियम को लागू करने का अधिदेश दिया गया है।

* ****

अनुबंध

'प्रवासी कामगार' के संबंध में श्री शफी परम्बिल, सांसद (लोक सभा) द्वारा दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3607 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 05.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	दिनांक 05.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	34,455
2.	आंध्र प्रदेश	86,18,260
3.	अरुणाचल प्रदेश	2,09,908
4.	असम	77,13,924
5.	**बिहार**	**3,00,29,469**
6.	चंडीगढ़	1,88,480
7.	छत्तीसगढ	86,03,259
8.	दिल्ली	35,79,202
9.	गोवा	82,998
10.	गुजरात	1, 21,79,153
11.	हरियाणा	54,02,184
12.	हिमाचल प्रदेश	20,03,493
13.	जम्मू और कश्मीर	35,99,050
14.	झारखंड	96,94,965
15.	कर्नाटक	1,08,88,631
16.	केरल	60,66,525
17.	लद्दाख	34,686
18.	लक्षद्वीप	2,843
19.	मध्य प्रदेश	1,89,30,439
20.	महाराष्ट्र	1,78,55,616
21.	मणिपुर	4,63,867
22.	मेघालय	3,52,419
23.	मिजोरम	72,255
24.	नागालैंड	2,38,334
25.	ओडिशा	1,36,07,406
26.	पुदुचेरी	1,94,804
27.	पंजाब	58,63,282
28.	राजस्थान	1,49,06,374
29.	सिक्किम	48,796
30.	तमिलनाडु	93,15,434
31.	तेलंगाना	45,42,660
32.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	75,408
33.	त्रिपुरा	8,96,317
34.	**उत्तर प्रदेश**	**8,39,81,159**
35.	उत्तराखंड	30,86,316
36.	**पश्चिम बंगाल**	**2,64,81,453**
	कुल	**30,98,43,824**

****